न्यायालय उपखण्डाधिकारी (राजस्व), श्रीकरणपुर

पीठासीन अधिकारीः श्रीमती रीना छिम्पा (आर.ए.एस.)

प्रकरण संख्या :52/2014

1. जगसीर सिंह पुत्र श्री मेजर सुखनिन्द्र सिंह जाति जट सिख निवासी हाल 782 ए,फेज 2, मोहाली, चन्डीगढ।

बनाम

1. भगवन्त कौर पत्नि बलविन्द्र सिंह जाति जट सिख निवासी 72 वीं ब्लॉक , श्री करणपुर तहसील श्री करणपुर जिला श्री गंगानगर ।
2. कमलजीत कौर पुत्री बलविन्द्र सिंह पत्नि गुरसुखजिन्द्र सिंह जाति जट सिख निवासी बाजुवाला तहसील रायसिंहनगर जिला श्रीगंगानगर ।
3. सिमरजीत कौर पुत्री बलविन्द्र सिंह पत्नि सुखपाल सिंह जाति जट सिख निवासी पिण्ट कूसैल , तहसील शियाटा , जिला अमृतसर (पंजाब)।
4. राजवीर कौर पुत्री बलविन्द्र सिंह पत्नि श्री जितेन्द्र सिंह जाति जट सिख निवासी सप्रिंगडेल पब्लिक स्कुल के ठीक पिछे , अमृतसर
5. जसवीर कौर पत्नि श्री हरेन्द्र सिंह सन्धु जाति जट सिंख निवासी 56 एफ तहसील श्री करणपूर जिला श्री गंगारनगर (राजस्थान)।

--अप्रार्थीगण--

1. श्री अजय बिश्नोई , अधिवक्ता -:प्रार्थीगण की ओर से:-
2. श्री वाइ.एस सैनी अधिवक्ता -:अप्रार्थी संख्या 1, 2,4,5 की ओर से:-

अप्रार्थी संख्या 3 -: एकपक्षीय कार्यवाही:-

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 आरटीए

--निर्णय-- दिनांक : 13/8/2019

संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थीगण के द्वारा प्रार्थना पत्र पेश कर निवेदन किया कि वादी के दादा बलवीर सिह के नाम चक 3 डब्ल्यू के मु.न. 14 में 24 बीघा 10 बिस्वा भूमि राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज थी, जो उसे आवटित हुई थी आवटित भूमि की तमाम किश्ते जमा करवाने पर सनद खातेदारी संख्या 732 जारी हुई एवं इस सनद के आधार पर दिनांक 20.05.1974 को खातेदारी का इन्तकाल दर्ज हुआ। खातेदार बलवीर सिंह का देहान्त सन् 1966 मे हो गया। खातेदारी दर्ज होने से पूर्व यह भूमि गैरखातेदार थी। बलवीर सिह के द्वारा अपने जीवनीकाल में अपनी पत्नि हरबंस कौर के पक्ष में कोई वसीयत नहीं की और न ही वह वसीयत करने में सक्षम था क्योकि धारा 39 आरटीए के प्रावधानों के अनुसार गैरखातेदारी भूमि की वसीयत नहीं की जा सकती। इसलिए कथित वसीयत दिनांकित 19.6.1966 प्रारम्भत : शून्य एवं विधि विरूध्द होने के कारण कोई प्रभाव नही रखती एवं इसके आधार पर स्वीकृत इन्तकाल संख्या 29 से प्रार्थी /वादी की दादी श्रीमति हरबन्स कौर को कोई हक व हिस्सा विवादित भूमि मे प्राप्त नही होता था। चूंकि हरबन्स कौर को किसी भी प्रकार से किसी भी वसीयत के आधार पर कोई विधिक अधिकार विवादित भूमि में प्राप्त नही थे तो ऐसी अवस्था मे हरबन्स कौर आगे वसीयत के आधार पर अप्रार्थीगण / प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 5 के नाम से राजस्व रिकॉर्ड मे हुआ अंकन गलत होने के कारण प्रार्थी/वादी निरस्त करवाकर एवं जमाबन्दी दुरूस्त करवाकर अपने एवं मृतक सुखनिन्द्र सिंह के सभी वारिसान के नाम से विवादित भूमि का निस्फ हिस्सा अंकित करवा पाने का अधिकार है। प्रार्थी/वादी द्वारा विवादित भूमि के सम्बन्ध में समस्त जानकारी हासिल करने के उपरान्त एवं राजस्व रिकॉर्ड की नकल प्राप्त करने के उपरान्त अप्रार्थी /प्रतिवादी संख्या 1 ता 5 से जाकर व्यक्तिगत रूप से मिलकर निवेदन किया गया कि बलवीर सिंह द्वारा कभी कोई वसीयत करने मे कानुनन सक्षम नहीं थे इसलिए हरबन्स कौर के नाम से हुआ इन्तकाल संख्या 29 गलत है एवं आप द्वारा कथित वसीयत के आधार पर हरबन्स कौर को विवादित भूमि मे कोई हक व हिस्सा किसी भी वसीयत के आधार पर प्राप्त नही होता था। वरन् विरासत प्राप्त होता था चूंकि वर्तमान मे हरबन्स कौर का भी देहान्त हो

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
श्रीकरणपुर (श्री गंगानगर)

Scanned by CamScanner

चक है इसलिए विवादित भूमि के विरासतन वारिस सुखनिन्द्र सिंह के वारिसान निस्फ हिस्सा एवं वलविन्द्र सिंह के वारिसान निस्फ हिस्सा है एवं अप्रार्थीया/ प्रतिवादीया संख्या 5 का कोई हक व हिस्सा नही है। इसलिए आप लोग प्रार्थी /वादी के अधिकारो की घोषणा करवाकर इन्तकाल संख्या 29 एवं इसके उपरान्त हरबन्स कौर की वसीयत के आधार पर स्वीकृत करवाये गये इन्तकाल को निरस्त करवाकर प्रार्थी /वादी के अधिकारों की घोषणा करवाकर प्रार्थी/वादी एवं मृतक सुखनिन्द्र सिंह के समस्त वारिसान को विवादित आराजी मे से हिस्सा का खातेदार मानते हुए राजस्व रिकॉर्ड को दुरूस्त करवाकर उक्त इन्द्राज करवा लेवे एवं इसके उपरान्त भूमि का विधिवत विभाजन अच्छी एवं बुरी से बुरी भूमि का कर जमावन्दी अलग तैयार करवाकर मौका पर अपने अपने हक व हिस्सा की भूमि पर अधिष्ठित हो जावे एवं जब तक उक्त समस्त कार्यवाही पूर्ण ना हो जाये तब तक विवादित भूमि को अन्यत्र रहन ,बैय दीगर तरीके से मुन्तकिल करने से निषेधित रहे लेकिन अप्रार्थीगण /प्रतिवादी संख्या 1 ता 5 ,जो कि अत्याधिक लालचवश हो चुके थे , के द्वारा दिनांक 26.05.2014 को ऐसा करने से कतई इन्कार कर दिया गया एवं ऐलानिया धमकी दी गयी कि वे राजस्व रिकॉर्ड के आधार पर विवादित भूमि का बेचान अन्यत्र कर कब्जा का हस्तान्तरण कर देगे । यदि अप्रार्थीगण गलत राजस्व के आधार पर विवादित भूमि तमाम को अथवा प्रार्थी / वादी को अपूर्णीय क्षति होगी एवं वाद का मकसद ही फौत हो जायेगा एवं आयन्दा मुकदमेंवाजी वढेगी । इसलिए प्रार्थी/वादी वाद के निस्तारण तक अस्थायी / निषेधाज्ञा प्राप्त करने का अधिकारी है। अतः प्रार्थना पत्र पेश कर निवेदन है की अप्रार्थीगण के खिलाफ इस आशय की अस्थाई निषेधाज्ञा पारित की जावे कि अप्रार्थीगण चक 3 डब्लयू. के मुरब्बा नम्बर 17 मे 24.10 वीघा नहरी कृषि भूमि को रहन, वैय दीगर तरीके से मुन्तकिल करने से वाज व ममनू रहे तथा मौका व रिकॉर्ड की यथास्थिती वनाये रखें ।

प्रार्थना पत्र पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया गया। अप्रार्थीगण को जरिए नोटिस तलव किया गया अप्रार्थी संख्या 1 की ओर से अधिवक्ता श्री वाई एस सैनी उपस्थिति आए व जवाव प्रार्थना पत्र पेश किया जवाव प्रार्थना पत्र के अनुसार यह कहना भी कतई गलत है कि उक्त भूमि की वसीयत कानुनन हो सकती है। यह कहना भी कतई गलत है कि वसीयत दिनांक 19.06.1966 शुन्य होने के कारण कोई प्रभाव न रखती हो । यह कहना भी कतई गलत है कि इंतकाल स0 29 से हरवंस कौर को कोई हक व हिस्सा उक्त भूमि में प्राप्त न होता हो । सही तथ्य यह है कि उक्त भूमि राजस्थान सरकार की भूमि है ना कि वतौर रिफयुजी भारत सरकार द्वारा पुख्ता अलाटी वलवीर सिह के अलाट हुई है। इसके अलावा उक्त आराजी की तमाम किश्ते हरवंस कौर द्वारा राजकोष में जमा करवाई गई है इसलिए यह भूमि हरवंस कौर की स्वय पैदा कर्ता आराजी है। यह कथन कतई गलत है कि वलवीर सिंह द्वारा जो वसीयत हरवंस कौर के पक्ष मे की गई है, उस वसीयत के आधार पर हरवंस कौर के पक्ष मे की गई है, उस वसीयत के आधार पर हरबंस कोर को कोई विधिक अधिकार विवादित भूमि में प्राप्त न होते है। यह कथन भी कतई गलत है कि हरवंस कौर आगे वसीयत करने मे सक्षम नही हो । यह कथन भी कतई गलत है कि हरवंस कौर द्वारा विना अधिकार वसीयत की गई हो और ऐसी वसीयत के आधार पर अप्रार्थीगण संख्या 1 ता 5 के नाम से राजस्व रिकार्ड मे हुआ अंकन गलत होने के कारण प्रार्थी के विधिक अधिकारो पर प्रतिकुल एवं प्रभाव रहित हो । यह कथन भी कतई गलत है कि उक्त वसीयत को प्रार्थी निरस्त करवाकर एवं जमावंदी दुरूस्त करवाकर अपने एवं मृतक सुखनिन्द्र सिंह के सभी वारिसन के नाम से विवादित भूमि का निस्फ हिस्सा अंकित करवा पाने का अधिकारी हो । सही तथ्य अतिरिक्त कथन मे दर्ज किये गये। दावा की मद संख्या 5 अस्वीकार है । इस मद मे तमाम तथ्य प्रार्थी ने वाद कारण कायमी के लिए गलत दर्ज किये है । सही तथ्य यह है कि वलवीर सिंह की मृत्यु के पशचात उक्त आराजी की तमाम किश्ते हरवंस कौर द्वारा खजाना राज मे जमा करवाई गई थी। उक्त भूमि राजस्थान सरकार की भूमि है , इसलिए वलवीर सिंह हरवंस कौर के पक्ष में की गई वसीयत सही एवं वैध है तथा हरवंश कौर द्वारा प्रतिवादीगण संख्या 2 ता 5 के पक्ष मे की गई वसीयत भी सही एवं वैध है , उक्त भूमि में सुखनिन्द्र सिंह व वलवीर सिंह का कोई हक व हिस्सा नही वनता ,इसलिए वादी व प्रतिवादीगण 6 ता 8 का भी कोई उक्त भूमि मे

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
श्रीकरणपुर (श्री गंगानगर)

नही बनता । सुखविन्द्र सिंह व बलवीर सिंह सदैव इंतकाल संख्या 29 से अपने जीवन काल में सहमत रहे है। जिसके द्वारा भी कभी भी उक्त इंतकाल को चुनौती नही दी है , इसलिए अब प्रार्थी इन्तकाल संख्या 29 को चुनौती देने का अधिकारी नही हैं। और न ही दावा प्रार्थना पत्र लाने का अधिकार है । और ना ही उक्त भूमि का कब्जा प्राप्त करने का अधिकार है यह कथन गलत है अप्रार्थीगण के मन मे लालच आ गया हो और वे भूमि आपने नाम से दर्ज होने का अनुचित लाभ उठा कर भूमि को रहन व मुन्तकिल करने के प्रयास मे हो । यह कथन कतई गलत है कि अप्रार्थीगण यदि ऐसा करने मे कामयाब हो गये तो प्रार्थी को अपूर्णीय क्षति होगी और न पुरा होने वाला नूकसान होगा । वसीयत दिनांक 19.06.1966 तथा इन्तकाल संख्या 29 का ज्ञान प्रार्थी को शुरू से था। प्रार्थी ने उक्त दावा गलत आधार पर पेश किया है। उक्त भूमि में वादी का कोई हक व हिस्सा नही बनता है और वादी उक्त दावा व प्रार्थना पत्र ला पाने का अधिकारी नही है, इसलिए प्रार्थना पत्र खारिज किये जाने योग्य है। अतिरिक्त कथन में मूल जवाब में अकित तथ्यों को दोहराते हुए निवेदन किया कि उतराधिकारी अधिनियम की धारा 14 के अनुसार हरबंस कौर इस भूमि की पूर्ण मालिक है। इन्तकाल संख्या 29 को प्रार्थी के पिता सुखनिन्दर सिंह तथा बलविन्द्र सिंह ने अपने जीवनकाल में कभी चुनौती नही दी। और न ही हरबंस कौर के जीवनकाल में प्रार्थी ने इस इन्तकाल को चुनौती दी। इस भूमि के सम्बन्ध मे प्रार्थी के परिवार ने उक्त पक्षकारो के मध्य व इसी विषय वस्तु को लेकर एक दावा प्रकरण संख्या 49/2007 अनवान परमजीत कौर बनाम भगवन्त कौर आदि पेश किया गया जो दिनांक 12.07.2011 को खारिज किया गया इस दावा में प्रार्थी जगसीर सिंह का समान हित था। एक ही विषय वस्तु को लेकर समान पक्षकारो में कानूनन दूसरा दावा पेश नहीं किया जा सकता। दूसरा दावा लाया जाना विधि द्वारा बाधित है। इन्तकाल संख्या 29 एवं 272 सही एवं वैध है। वसीयत इन्तकाल संख्या 272 का इन्तकाल आदेश पूर्ण सुनवाई करके दिया गया है इसके विरूद्व कोई अपील या निगरानी प्रस्तुत नहीं है। इस न्यायालय में पेश वाद दिनांक 12.07.2011 को खारिज किया गया जिसके विरूद्व भी कोई अपील पेश नहीं की गई। आदेश दिनांक 12.07.2011 अन्तिम हो चुका है। प्रार्थना पत्र मय खर्चा खारिज किया जावे।

अप्रार्थी संख्या 2,4 के द्वारा प्रार्थना पत्र आदेश 9 नियम 7 सीपीसी पेश किया जो बाद सुनवाई स्वीकार किया जाकर अप्रार्थी संख्या 2,4के विरूद्व की गई एकपक्षीय कार्यवाही निरस्त की गई। अप्रार्थी संख्या 2,4,5 के द्वारा जवाब प्रार्थना पत्र पेश किया। अप्रार्थी संख्या 3 के विरूद्व एकपक्षीय कार्यवाही की

बहस सुनी गई प्रार्थी अधिवक्ता के द्वारा अपनी बहस में प्रार्थना पत्र में अकित तथ्यों को दोहराते हुए प्रार्थना पत्र स्वीकार करने हेतु निवेदन किया। अप्रार्थीगण अधिवक्ता के द्वारा अपनी बहस में प्रार्थना पत्र में अकित तथ्यों को दोहराते हुए प्रार्थना पत्र खारिज हेतु निवेदन किया।

बहस पर मनन किया एवं पत्रावली का अवलोकन किया प्रार्थीगण के द्वारा अपने प्रार्थना पत्र मे निवेदन किया है कि चक 3 डब्ल्यू के मु.न. 17 की 24 बीघा 10 बिस्वा भूमि बलवीर सिंह को आवटंन थी। जिसकी खातेदारी 1974 में हुई। बलवीर सिंह की मृत्यू 1966 में हुई। इस भूमि का वसीयत इन्तकाल संख्या 29 हरबंस कौर के पक्ष में दर्ज हुआ जो की बलवीर सिह की वसीयत दिनांक 19.06.1966 के आधार पर दर्ज है। एवं हरबंस कौर की मृत्यू के बाद वसीयत इन्तकाल संख्या 272 दर्ज हुआ बलवीर सिंह के द्वारा गैरखातेदारी भूमि की वसीयत की गई जो नियम विरूद्व की गई है। बलवीर सिंह की मृत्यू के बाद इस भूमि का विरास्तन इन्तकाल दर्ज होना था प्रार्थीगण बलवीर सिंह के वारिसान है। इसलिए इस वादगत भूमि चक 3 डब्ल्यू के मु.न. 17 की 24 बीघा 10 बिस्वा भूमि के सम्बन्ध में अस्थाई निषेधाज्ञा जारी की जावे। अप्रार्थीगण द्वारा अपने जवाब में अकित किया है कि हरबंस कौर के पक्ष में दर्ज किया गया इन्तकाल सही एवं वैध है। इस भूमि में सुखनिन्द्र सिह एंव बलवीर सिंह का कोई हिस्सा नहीं बनता। इन इन्तकालो को पूर्व में कोई चुनौती नहीं दी गई। वसीयत दिनांक 19.06.1966 का ज्ञान प्रार्थीगण को शुरू से था हरबंस कौर की वसीयत रजिस्ट्रर्ड वसीयत है जिसके आधार पर पूर्ण सुनवाई कर

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
श्रीकरणपुर (श्री गंगानगर)

Scanned by CamScanner

इन्तकाल संख्या 272 दर्ज किया गया है। इसके विरूद्व कोई अपील नहीं की गई। इस भूमि बाबत पूर्व मे भी एक वाद पेश किया गया था जो खारिज हो गया। प्रार्थना पत्र मय खर्चा खारिज किया जावें। चक 3 डब्ल्यू की जमाबन्दी सम्वत 2069 ता 72 के खाता संख्या 17 के मु:न. 17 की कुल 6.072 हैक्ट. भूमि अप्रार्थी संख्या 2,4,5 के नाम राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज है। पत्रावली में पेश हरबंस कौर की वसीयत रजिस्ट्रर्ड वसीयत है। बलवीर की तथाकथित वसीयत पत्रावली में पेश नही की गई है। पत्रावली में पेश तहसीलदार श्री करणपुर के प्रकरण संख्या 40/2007 सिमरजीत कौर बनाम हरखासआम के आदेश दिनांक 16.03.2010 के अनुसार हरबंस कौर की वसीयत के आधार पर इन्तकाल दर्ज करने का आदेश पूर्ण सुनवाई कर दिया गया है। प्रार्थीगण को कोई हक या हिस्सा इस भूमि में प्राप्त होना है या नहीं यह तथ्य मूलवाद मे साक्ष्य से तय होना है। अप्रार्थीगण इस भूमि के रिकॉर्डड खातेदार है। राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 212 के तीनो बिन्दूओ पर विचार किया गया प्रथम दृष्टया मामला, सुविधा का सतुलन, राईट एवं टाईटल प्रार्थीगण के पक्ष में बनना नहीं पाया जाता है। प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र स्वीकार योग्य नहीं हैं।

उपर्युक्त तथ्यो के विवेचन एवं पत्रावली मे उपलब्ध साक्ष्य सबूत के आधार पर प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अर्न्तगत धारा 212 आरटीए स्वीकार योग्य नही होने पर इसी स्टेज पर खारिज किया जाता है। पत्रावली निर्णित होकर मूल वाद के साथ संलग्न रहे।

निर्णय आज दिनांक 13/8/2019 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय मे सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
श्रीकरणपुर (श्री गंगानगर)
{श्रीमती रीना छिम्पा आर.ए.एस}
उपखण्ड अधिकारी {राजस्व}
श्रीकरणपुर जिला श्रीगंगानगर

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) श्रीकरणपुर (श्री गंगानगर) सत्यमेव जयते

Scanned by CamScanner